82 न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

**प्रकरण क्रमांक : 523–तीन/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2008– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क0 213/ 1992–93 अपील**

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सुखेन्द्र प्रसाद मौजा चुंआ,
तहसील हुजूर, जिला रीवा मध्य प्रदेश ——— आवेदक

विरूद्व

1– पदमप्रभाकर 2– पदमनाथ पुत्रगण नरसिंह प्रसाद
3– श्रीमती राजकुमारी वेवा पत्नि कुण्डलेश प्रसाद
4– विष्णुप्रसाद 5– पुन्डरीकप्रसाद 6– कमलेन्द्रप्रसाद
7– जितेन्द्रमणी 8– नागेन्द्रमणी 9– जैतेन्द्रमणी
सभी पुत्रगण कुण्डेलेश प्रसाद
10–कमलेश्वर प्रसाद 11– कुन्देश्वर प्रसाद
पुत्रगण भोलाप्रसाद सभी निवासी ग्राम
चुंऑ तहसील हुजूर जिला रीवा, मध्य प्रदेश
12– श्रीमती देवी पत्नि स्व. उपेन्द्रमणी
13– सुरेन्द्रमणी पुत्र शेषप्रसाद दोनों ग्राम अखाड़घाट
किला रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

## आदेश

(आज दिनांक 17–7–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 213/92–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–2–2008 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 20 पर आदेश दिनांक 24-4-1985 पारित करके ग्राम चुंआॅ की भूमि सर्वे क्रमांक 968, 969, 970 के रकबा 13-35 एकड़ का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक के पिता सुखेन्द्र ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 99 अ-6/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-1992 से राजस्व निरीक्षक वृत्त गोविन्दगढ़ का आदेश दिनांक 24-4-1985 निरस्त किया तथा ग्राम चुंआॅ की भूमि 13-35 एकड़ पर अपीलांट एंव उत्तरवादीगण का सामिलाती नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क्र0 213/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 से अपील स्वीकार कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सर्वप्रथम म्याद का विनिश्चय किया जाय, तत्पश्चात नामान्तरण पंजियों को तलब कर विधि अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किया जावे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। लेखी बहस के संलग्न दस्तावेजों के क्रम में बताया गया है कि विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में मामला सिविल कोर्ट में चला है जहां पक्षकारों के बीच राजीनामा हो चुका है तद्नुसार निर्णय कर दिया जावे। यह सही है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क्र0 213/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 में अंकित किया है कि व्यवहार न्यायालय के वाद क्रमांक 12 ए 73 में पारित आदेश दिनांक 3-3-76 में

वादग्रस्त भूमियों के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। विलम्ब माफी के आवेदन पत्र का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि विलम्ब माफी के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 का निराकरण करने के वाद ही प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित करना चाहिये। इस प्रकार उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 28-11-1992 को निरस्त करके धारा 5 पर पक्षकारों को सुनकर निर्णय लेने एंव तत्पश्चात् नामान्तरण पंजियों को तलब करके गुणदोष पर आदेश पारित करने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। आवेदक के अभिभाषक माननीय व्यवहार न्यायालय में राजीनामा होने के आधार पर इस न्यायालय से न्याय की अपेक्षा करते हैं, उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तदाशय के अभिलेख प्रस्तुत कर न्याय पाने का उपचार प्राप्त है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जांच एंव सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को पक्ष रखने का भी उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 213/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 213/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर